XIV-Form No. 563.

23

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वासगीत पर्चा वाद संख्या–106/2007

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट

1. कैलाश प्रसाद मांझी
2. बैकुंठ मांझी

दोनों के पिता–स्व0 आनन्दी मांझी
सकिन–कसबा, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम

दिनेश पासवान, पिता–नारायण पासवान, साकिन–बागेश्वरी स्थान, अब्दुल्लानगर, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–23/2006–07 में दिनांक 02.04.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक खाता संख्या–456, खेसरा संख्या–2333, रकवा–37 डिसमिल 06 कड़ी मौजा–अब्दुल्ला नगर में दिनांक 08.12.1973 को रजिस्टर्ड केवाला द्वारा खरीदा है और नामान्तरण करवाकर मालगुजारी रसीद भी कटा रहा है। उपरोक्त जमीन के एक हिस्से में आवेदक का घर जिसका दिवाल ईट का है तथा छत पर खपड़ा है बनाया था। विपक्षी आवेदक से उस घर में कुछ दिन रहने की अनुमति लेकर रहने लगा। बाद में आवेदक को अपने काम के लिये ही घर की आवश्यकता पड़ी और उसने विपक्षी एवं उसके पिता से घर खाली करने का अनुरोध किया। विपक्षी घर खाली करने के लिये सहमत हो गये, लेकिन गुप्त रूप से वासगीत पर्चा बनाने के लिये आवेदन दिये हुए थे। घर खाली नहीं करने के कारण सबजज प्रथम के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या–59/2006 भी प्रारम्भ हुई। इस स्वत्व वाद में विपक्षी ने दिनांक 24.09.2007 को लिखकर दिया कि मुझे उस जमीन में 06 डिसमिल का वासगीत पर्चा वाद संख्या–23/2006–07 द्वारा अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूव से प्रापत हो चुका है। स्पष्ट है कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर गुप्त रूप से यह पर्चा बनवाया और अंचल कार्यालय ने भी भूधारी को इसकी सूचना नहीं दी। विपक्षी ने अपने वासगीत पर्चा के आवेदन में भूधारी (आवेदक) का निवास का पता कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गुलाबबाग लिखा है, जबकि आवेदक का निवास स्थान कसबा है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व में भी विपक्षी एवं उसके पिता ने इसी जगीन पर पर्चा बनवाने के लिये वासगीत पर्चा वाद संख्या–53/1999–2000 प्रारम्भ किया था। किन्तु अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में लिखा था कि विपक्षी के पास उसी मोजा में अपना जमीन है। फलस्वरूप अंचलाधिकारी द्वारा विपक्षी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः 06 वर्षो के बाद विपक्षी इस न्यायालय में राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–141/2006 दायर किया। इस न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त पुनरीक्षण वाद को दिनांक 10.11.2006 को खारिज किया गया। दुबारा उसी जमीन का पर्चा विपक्षी ने हल्का कर्मचारी को मेल में लेकर बनवा लिया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 11.05.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। विपक्षी के द्वारा अपने प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए उसकी एक प्रति आवेदक को भी दिया गया है।

विपक्षी का कहना है कि वे एक प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में आते है, इस कारण से उनके द्वारा दिये गसे आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के द्वारा पर्चा निर्गत किया गया है। भूधारी कैलाश मांझी एवं बैकुंठ मांझी को नोटिश प्राप्त करने के बावजूद भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। आवेदक के द्वारा विपक्षी का अनावश्यक रूप से परेशान करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व में वर्ष 2000 में भी इस न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित हुआ है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही निरीक्षण किया गया। अंचल निरीक्षक के स्तर पर निरीक्षण नहीं हुआ है। नोटिश भी प्राप्त नहीं होने की बात उनके द्वारा कही गयी।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा कही जा रही बातें गलत है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय का अभिलेख के अवलोकन करने से स्थिति स्पष्ट होगा।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया को पालन करते हुए आदेश पारित किया गया। इसमें किसी तरह की कमी नहीं है। इस कारण से निम्न न्यायालय के आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

29/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

29/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ